

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
रामकौरी बनाम गोविन्दराम

मुकदमा क्रिसम अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 38 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.03.2024	<p>प्रार्थीया रामकौरी की तरफ से वकील श्री नीरज सोनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कालासर के ख.नं. 167/125 की 11.308 है. में से अप्रार्थी अपने 221/11308 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">CA 7 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>कुलाए कलकन उपस्थत/PU मा... पत्रावली 24.4.2024 दिनांक 24.4.2024 नं पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवेकन जिला... पत्रावली अगले पेशी में लिखा गया। वकील प्रार्थी ने विवेकन जिला... प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा शरीर नही चलाना चाहते हैं। मौजूदा सिविल में जारीज करवाना चाहते हैं। इस प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा सिविल में जारीज जिहा लगता है। पत्रावली रखर से अगले जी जुआर काउ सदसिक लकरील जल्ला दा. डि ल रफर हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये</p> <p>24.4.2024</p> <p>7.06.2024</p> <p>पु. कौरी [Signature]</p> 